

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

Palanhaar Registration Application Form/ पालनहार पंजीकरण आवेदन प्रपत्र

1.	Applicant Personal Information/ आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी	
	Family JanAadhaar Card Number/ परिवार जनाधार कार्ड संख्या	:
	Applicant Name/ आवेदक का नाम	:
	Annual Income (INR)/ वार्षिक आय	:
	क्या आप विधवा/ तलाकशुदा/परित्यक्ता/ विशेष योग्यजन/सिलिकोसिस पेंशनर्स हैं यदि हाँ तो पेंशन का प्रकार एवं पेंशन भुगतान नम्बर (पी.पी.ओ. नम्बर) अंकित करें	:
	Mobile No./ मोबाइल नंबर	:
2.	Address/ पता	
	House/Building/Apartment/घर/बिल्डिंग/अपार्टमेंट Area/ Locality/ Sector/ एरिया/ मोहल्ला/ सेक्टर Gram Panchayat/Ward Number/ ग्राम पंचायत/वार्ड Post Office/डाक खाना Pin Code/पिन कोड Panchayat Samiti/ब्लॉक/पंचायत समिति Tehsil/ तहसील District/ ज़िला	:
3.	Child Information/ बच्चे की जानकारी	
	Aadhar Number/ आधार कार्ड नंबर	:
	Name/ नाम	:
	Date of Birth/ जन्म दिनांक	:
	Gender/ लिंग	:
	Category/ श्रेणी (अनाथ बच्चे/न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के बच्चे/ निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे/ पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे/एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे/कुछ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे/नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे/विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे/सिलिकोसिस पीड़ित माता/पिता के बच्चे)	:
	Study class at time of application/ आवेदन के समय शैक्षणिक स्तर (कक्षा)	:
	Name/ आंगनवाड़ी/विद्यालय का नाम व Address/ पता	:

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर मय नाम

संलग्नक:-

1. बच्चों का पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति का जनाधार कार्ड नम्बर
2. बच्चों का पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति के परिवार की 1.20 लाख रुपये से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र (पालनहार के बी.पी.एल./अन्तयोदय/आस्था कार्डधारक अथवा विभाग के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्राप्त करने एवं जनाधार में इसकी सूचना अंकित होने की स्थिति में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा)
3. बच्चों का पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति का मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति (पालनहार के बी.पी.एल./अन्तयोदय/आस्था कार्डधारक होने अथवा विभाग के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने अथवा पीडीएस का लाभ लेने एवं जनाधार में इसकी सूचना अंकित होने की स्थिति में मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा)
4. बच्चों का आधार कार्ड नम्बर
5. बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्र पर जाने/विद्यालय में अध्ययनरत रहने का प्रमाण पत्र
6. बच्चों का पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र (अनाथ बच्चे/न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे/पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में सरपंच, ग्राम पंचायत/प्रधान, पंचायत समिति/वार्ड पार्षद, नगरीय निकाय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र)
7. श्रेणी एवं श्रेणीवार जमा करवाये जाने वाले दस्तावेज

☞ अनाथ बच्चे ☞ न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे ☞ निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे ☞ पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे ☞ एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे ☞ कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे ☞ नाता जाने वाली माता के बच्चे ☞ विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे ☞ तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे ☞ सिलिकोसिस पीड़ित माता/पिता के बच्चे	- बच्चों के माता-पिता की मृत्यु के प्रमाण पत्र न्यायालय द्वारा जारी दण्डादेश - पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) नम्बर पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र - राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी द्वारा जारी ए. आर.डी. डायरी/ग्रीन डायरी - सक्षम चिकित्सा अधिकारी/ बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र - नाता जाने का प्रमाण पत्र - आवेदक का पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) नम्बर अथवा चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी किया गया 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता का निःशक्तता प्रमाण पत्र - पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) नम्बर - सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र
---	--

पालनहार द्वारा अनाथ बच्चों के पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पिता/पत्नी श्री निवासी निम्न अनाथ बच्चों को अपने परिवार में रखकर स्वयं की संतान की भांति पारिवारिक माहौल में पालन-पोषण, शिक्षा आदि की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं:-

क्र. सं.	अनाथ बालक/बालिका का नाम	माता/पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा/आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम	पालनहार के पास कब से रह रहे हैं

दिनांक :

(हस्ताक्षर)

(सरपंच, ग्राम पंचायत/प्रधान, पंचायत समिति/
वार्ड पार्षद, नगरीय निकाय)

नाम :

कार्यालय का पता:

दूरभाष/ मोबाईल न0 :

मोहर :

वे बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास से दण्डित किए गए हो अथवा जिनकी विधवा माता ने विधिवत पुनर्विवाह के पश्चात अपनी संतानों को त्याग दिया हो, के लिये ही उक्त प्रमाण पत्र की पूर्ति कराई जानी है।

विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र

कार्यालय (शिक्षण संस्था का नाम) :

क्रमांक :

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षण संस्था के रिकॉर्डनुसार निम्न विद्यार्थी इस विद्यालय में शैक्षणिक सत्रमें नियमित रूप से अध्ययनरत था/है :-

क्र. सं.	विद्यार्थी का नाम	माता/पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा	शिक्षण संस्था में पंजीयन/नामांकन संख्या एवं दिनांक

(हस्ताक्षर)

शिक्षण संस्था प्रधान

जारीकर्ता का नाम :

विद्यालय का पता:

दूरभाष/मोबाईल न0 :

मोहर :

6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे विद्यालय में अध्ययनरत न होने की स्थिति में आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र

आंगनवाडी केन्द्र का नाम :

क्रमांक :

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि आंगनवाडी केन्द्र के रिकॉर्डनुसार निम्न बालक/बालिका इस आंगनवाडी केन्द्र में सत्रमें नामांकित/पंजीकृत था/है :-

क्र.सं.	बालक/बालिका का नाम	माता/पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	आंगनवाडी केन्द्र में पंजीयन/नामांकन संख्या एवं दिनांक

(हस्ताक्षर)

आंगनवाडी कार्यकर्ता

जारीकर्ता का नाम :

केन्द्र का पता:

दूरभाष/मोबाईल न0 :

मोहर :

नगरीय क्षेत्र में नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता स्वीकृति बाबत जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु रिपोर्ट

क्रमांक :

दिनांक :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15 (3) (1)/पालनहार/सान्याअवि/15/..... जयपुर, दिनांक के अनुसरण में प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पिता/पत्नी श्री , निवासी अपने परिवार को छोड़कर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरुष (नाम यदि ज्ञात हो) के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है:-

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह रिपोर्ट आज दिनांक को जारी की जाती है।

(हस्ताक्षर) वार्ड मेम्बर/पार्षद	(हस्ताक्षर) पटवारी	(हस्ताक्षर) मुख्य कार्यकारी
जारीकर्ता का नाम :	जारीकर्ता का नाम :	अधिकारी/आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी
मोहर :	मोहर :	जारीकर्ता का नाम :

**नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(उपरोक्त तीनों की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा)**

कार्यालय का नाम :

क्रमांक :

दिनांक :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15 (3) (1)/पालनहार/सान्याअवि/15/..... जयपुर, दिनांक के अनुसरण में प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पिता/पत्नी श्री , निवासी अपने परिवार को छोड़कर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरुष (नाम यदि ज्ञात हो) के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है:-

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह प्रमाण पत्र की गई अनुशंषा के आधार पर आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी

जारीकर्ता का नाम :

मोहर :

ग्रामीण क्षेत्र में नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता स्वीकृति बाबत जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु रिपोर्ट

क्रमांक :

दिनांक :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15 (3) (1)/पालनहार/सान्याअवि/15/..... जयपुर, दिनांक के अनुसरण में प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पिता/पत्नी श्री निवासी अपने परिवार को छोड़कर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरुष (नाम यदि ज्ञात हो) के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है:-

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह रिपोर्ट आज दिनांक को जारी की जाती है।

(हस्ताक्षर)

ग्राम सचिव

(हस्ताक्षर)

पटवारी

जारीकर्ता का नाम :

जारीकर्ता का नाम :

मोहर :

मोहर :

**नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा)**

कार्यालय का नाम :

क्रमांक :

दिनांक :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15 (3) (1)/पालनहार/सान्याअवि/15/..... जयपुर, दिनांक के अनुसरण में प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पिता/पत्नी श्री निवासी अपने परिवार को छोड़कर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरुष (नाम यदि ज्ञात हो) के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है:-

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह प्रमाण पत्र की गई अनुशंसा के आधार पर आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी

जारीकर्ता का नाम :

मोहर :

ग्रामीण क्षेत्र की परित्यक्ता महिलाओं की संतान हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता स्वीकृत बाबत जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु रिपोर्ट

क्रमांक :

दिनांक :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ, 09(05) (12-1) सान्याअवि/2013-14/460146 जयपुर, दिनांक : 24-05-2013 के अनुसरण में प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....पिता/पत्नी श्री..... निवासी.....अपने पति से तीन वर्ष से अधिक समय से पति से अलग रह रही हैं, एवं पति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह रिपोर्ट आज दिनांक.....को जारी की जाती है।

(हस्ताक्षर)

ग्राम सचिव

जारी कर्ता का नाम :

मोहर :

(हस्ताक्षर)

पटवारी

जारी कर्ता का नाम :

मोहर :

**परित्यक्ता माताओं की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा)**

कार्यालय का नाम :

क्रमांक :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ, 09(05) (12-1) सान्याअवि/2013-14/460146 जयपुर, दिनांक : 24-05-2013 के अनुसरण में प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....पिता/पत्नी श्री..... निवासी.....अपने पति से तीन वर्ष से अधिक समय से पति से अलग रह रही हैं, एवं पति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह प्रमाण पत्र की गई अनुशंसा के आधार पर आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी

जारी कर्ता का नाम :

मोहर :